तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 33/2024 बअनवान चतरसिंह वगैरा बनाम ओमप्रकाश वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

आदेश

दिनांक 12.09.2024

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री रोशनलाल
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, मूल वाद के विचारण में अपीलांटस के कब्जे काश्त में उतरदाता द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटस के हकों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्जावेजात पर गौर कर विस्तृत विवेचन के अनुसार पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से उचित है। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी का वाद पेश होने से पूर्व ही सहमति से लोक अदालत की भावना से बंटवारा हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उतरदातागण को अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है जिससे उतरदाता को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। एक खातेदार के विरूद्ध बिना सुनवाई का अवसर दिये स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। मामला

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी उत्तरदातागण के पक्ष में है। स्थगन आदेश की आड़ में उत्तरदातागण को अपनी खातेदारी भूमि के उपभोग एवं उपयोग से वंचित किया जाता है तो उसके हितों पर कुठाराघात होगा। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2024 को खारिज किया जाकर मूल अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अशोक सिंह राजावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर